**2भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या: 3059**
**गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

**विमान किराया वापसी के मानदंडों में संशोधन**

**3059. प्रो. सौगत रायः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विमान किराया वापसी के मानकों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या व्हीलचेयर वाले यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए 'अम्बु लिफ्ट' शुरू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि विमानों में सीटों के चयन के लिए यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अवैध शुल्क लगाए जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क): 'हवाई टिकट रिफंड' संबंधी विनियमों, नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर), खंड 3, श्रृंखला एम, भाग II, जिसका शीर्षक 'सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों के यात्रियों को एयरलाइन टिकटों का रिफंड' है, की वर्तमान में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा समीक्षा की जा रही है।

(ख): सीएआर, खंड 3 - हवाई परिवहन, श्रृंखला एम, भाग I, जिसका शीर्षक है "दिव्यांग व्यक्तियों और/या कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों की हवाई यात्रा", यह प्रावधान करता है कि हवाईअड्डा प्रचालक को दिव्यांगजनों या कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों को विमान में चढ़ने/विमान से उतरने में सक्षम करने के लिए हवाईअड्डे पर एम्बुलिफ्ट के लिए उचित प्रावधान करना होगा। ऐसे विमानपत्तनों पर जहां एम्बुलिफ्ट या एयरोब्रिज सुविधा उपलब्ध नहीं है, टोएबल रैंप या समकक्ष सुलभ उपकरण की सुविधा प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ): मूल किराए को अधिक वहनीय बनाने के लिए, डीजीसीए ने 'अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा सेवाओं और शुल्कों की अनबंडलिंग' पर वर्ष 2024 का वायु यातायात परिपत्र (एटीसी) 01 जारी किया है, जो यात्रियों को उन सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प प्रदान करता है जिनका वे लाभ लेना चाहते हैं जिसमें वरीयता सीट का चयन शामिल है।

******